राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–274 / 2015 / जयपुर

कमली देवी पत्नी गणपत शर्मा निवासी ग्राम रामरतनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलैक्टर (मुद्रांक), जयपुर वृत्त जयपुर द्वितीय।
2. मूली देवी पत्नी घासीलाल निवासी ग्राम रामरतनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री गौरव दवे
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

योगिता वर्मा एवं अनिता रावत
अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.12.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलैक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त जयपुर द्वितीय (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 29.04.2014 प्रकरण संख्या 589 / 2013 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप–पंजीयक बस्सी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीया सं. 2 द्वारा अपनी कृषि भूमि ग्राम रामरतनपुरा पटवार क्षेत्र रामरतनपुरा खसरा नंबर 173 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा में से आधार हिस्सा एवं खसरा नंबर 169 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जरिये विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 04.05.2012 को प्रार्थीया को विक्रय किया। दस्तावेज की मालियत 70,31,425 / – रूपये मानी जाकर मुद्रांक कर आदि वसूल करते हुए दस्तावेज पंजीबद्ध कर लौटा दिया। उप–पंजीयक बस्सी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.05.2013 को रेफरेन्स प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज की मालियत 1,00,44,894 / – रूपये मानकर तद्नुसार अंतर मुद्रांक कर 1,20,540 / – रूपये व सरचार्ज रूपये 12,050 / – वसूल करने हेतु निवेदन किया। रेफरेन्स का आधार "UP TO 0.5 K.M, CHAHI" अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए रेफरेन्स स्वीकार किया है जिसके विरूद्ध प्रार्थीया ने यह निगरानी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

3. निगरानी दर्ज की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीया संख्या 2 की ओर से उनकी विद्वान अभिभाषक महोदया उपस्थित हुई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है। निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है व रिक्त स्थानों में पूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है। इन्होने यह भी कथन किया कि रेफरेन्स में मुख्य बिन्दु क्रय की गई कृषि भूमि 500 मीटर की सीमा में स्थित होने का बिन्दु निहित था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका देखकर ही निर्णित किये जाने योग्य था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने तो मौका देखा है व न ही इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष दिया हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे। अप्रार्थीया संख्या 2 की विद्वान अभिभाषक महोदया द्वारा भी प्रार्थीया के कथनों का समर्थन किया।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण संतोषप्रद एवं विश्वास योग्य होने के कारण तथा निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानियां अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है व रिक्त स्थानों में पूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स क़े तथ्यों की विवेचना किये बिना ही साईक्लोस्टाइल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके विवादित आदेश पारित किया है, जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह

लगातार............3

सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है।

9. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2018 को पेश हों।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य